# कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक : 26820 दिनांक : 23/1/23

## अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

U.B. No. DLB2223SLOB26467

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निगम कार्यालय हेतू ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की व्यवस्था हेतु ऑन लाईन निविदाऐं सम्बंधित अनुभवी सवेंदको से आमंत्रित की जाती है। इन कार्यो की अनुमानित लागत, निविदा प्रपत्र विकय तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://eproc. rajasthan. gov. in, http://sppp.raj.nic.inएवं नगर निगम जोधपुर दक्षिण की वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक : 26821-26827 दिनांक : 23/1/23

प्रतिलिपि :–

01. सम्पादक.............................................को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा को.............................................संस्करण में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करें।
02. निजी सहायक महापौर महोदया, नगर निगम, जोधपुर दक्षिण।
03. उपायुक्त (मुख्यालय), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
04. लेखाधिकारी, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर दक्षिण।
05. कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, जोधपुर दक्षिण।
06. आई.टी.ई सैल, नगर निगम, जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख हैं कि उक्त निविदा निगम की वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in , SPPP.rajasthan.nic.in पर अपालेड करे।
07. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक : एफ 2/सा.प्र./19/26820 दिनांक : 23/1/23

## ई–निविदा–सूचना

जोधपुर नगर निगम की ओर से कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (Machine with Man) प्रदान कराने हेतु दो वर्ष अवधि हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई–टेण्डर प्रक्रिया से निविदाऐं आमंन्त्रित की जाती है, इच्छुक पंजीकृत फर्म/सस्थां निविदा में हिस्सा लेना चाहते है वे अपनी ई–टेण्डर निविदाएं तकनीकी व वित्तिय निविदाऐं ऑनलाईन प्रत्येक मद के आगे अंकित दिनांक व समय तक इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में प्रेषित कर सकते है। राजकीय अवकाश होने पर निविदाये अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।

| कं सं. | सेवा/सामग्री/ कार्य का विवरण | अनुमानित लागत राशि (लाखो में) | निविदा शुल्क (रूपये में) | निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रूपये में) | निविदा अमानत राशि (रूपये में) | निविदा डाउनलोड अपलोड/करने की अंतिम तिथि व समय | तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर (Machine with Man)की सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु | 300 लाख | 1000 | 1000 | 6,00,000 छ:लाख | 06.02.23 03.00 PM | 07.02.23 11.00 AM |

## महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

| विवरण | दिनांक | समय |
|---|---|---|
| ऑन लाईन निविदा फार्म डाउनलोड प्रारम्भ होने की दिनांक व समय | 25.01.23 | 11.00 AM |
| ऑन लाईन निविदा फार्म जमा करना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय | 25.01.23 | 11.00 AM |
| ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड कराने की अन्तिम दिनांक व समय | 06.02.23 | 3.00 PM |
| निविदा शुल्क/धरोहर राशि/ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क के डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति रूम नं.01 नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय | 06.02.23 | 2.00 PM |
| ऑन लाईन तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय | 07.02.23 | 11.00 AM |

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

Scanned with OKEN Scanner

नोट :–

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निविदा/बोली प्रपत्र वैब साईट http://eproc.rajasthan.gov.inपोर्टल के माध्यम से कॉलम संख्या–7 में अंकित तिथि एवं समय तक ऑन–लाईन डाउनलोड/अपलोड कर प्रस्तुत करने होगें।
2. बोलीदाता/संवेदक को अपने डिजिटल हस्ताक्षरों (DSC) के माध्यम से वैब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर फर्म/संस्था आदि का रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक होगा।
3. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निविदा शुल्क रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिणके नाम से Payable at Jodhpur हो, संलग्न करनी होगी।
4. बोलीदाता/संवेदक द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक MD RISL JAIPUR के नाम से Payable at jaipur हो, संलग्न करनी होगी।
5. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निर्धारित बोली अमानत राशि रूपये 6,00,000/– (रूपये छः लाख मात्र) की डी.डी/बैंकर चैक आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम से Payable at Jodhpur हो, संलग्न करनी होगी।
6. नविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छुक फर्म/सस्थां द्वारा तकनीकी व वितीय दोनो प्रपत्र में पृथक–पृथक भरना अनिवार्य है।
7. **तकनीकी निविदा से संबधित दस्तावेज केवल तकनीकी निविदा में अपलोड किये जावे एंव निविदा की दरे वितीय निविदा ( BOQ) में ही अपलोड करनी होगी।**

Scanned with OKEN Scanner

# तकनीकी निविदा–चैक लिस्ट

## (कम्प्यूटर ऑपेरटर मय कम्प्यूटर (Machine with Man)

बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादित का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा –

| क्र सं. | विवरण | रजि सं. | वर्ष | पंजीकरण दिनांक | सलग्नं है या नहीं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निविदा/बोली शुल्क रू. 1000/– (रूपये एकहजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक जो आयुक्त नगर निगम दक्षिण के नाम से संलग्न करनी होगी। | | | | |
| 2. | निविदा/बोली प्रोसेसिंग RISL शुल्क 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक जो MD RISL JAIPUR के नाम से संलग्न करनी होगी। | | | | |
| 3. | निविदा/बोली अमानत राशि रूपये 6,00,000 (रूपये छः लाख मात्र) का मूल डी.डी./बैंकर चैक जो आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम से संलग्न करनी होगी। | | | | |
| 4. | निविदा बोली की सम्पूर्ण जानकारी एवं शर्तो (Terms & Conditions)आदि के प्रत्येक पृष्ठ को स्व–प्रमाणित कर संलग्न करें। | | | | |
| 5. | राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूल) अधिनियम 1970 | | | | |
| 6. | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 | | | | |
| 7. | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 | | | | |
| 8. | वस्तु एवं सेवा कर (GST) | | | | |
| 9. | आयकर (पैन नम्बर) | | | | |
| 10. | राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या<br>इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या<br>इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत | | | | |
| 11 | गत दो वर्षो (2020–21, 2021–22) में औसतन 150 लाख टर्नओवर की सी.ए. ऑडिट रिर्पोट्स UDI NO. के साथ स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां। | | | | |
| 12. | नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/राज्य सरकार एवं उसके किसी भी उपकम में कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का कम्प्यूटर मय कम्प्यूटर ऑपरेटर आपूर्ति का अनुभव जिसमें किसी एक विभाग मे गत तीन वर्ष में किसी दो वर्ष में न्यूनतम औसतन 100 कम्प्यूटर मय कम्प्यूटर आपरेटर नियोजित होने का अनुभव प्रमाण पत्र मय कार्यादेश की प्रति। | | | | |
| 13. | संयुक्त उद्यम का अनुबंध तथा मुख्य बोलीदाता का अधिकार पत्र (यदि लागू हो तो।) | | | | |
| 14. | पुर्ण रूप से भरी गयी हस्ताक्षर सहित बिड डाटा शीट | | | | |

बोलीदाता संवेदक के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदाता/संवेदक का नाम..............................................

पता.........................................................................................

मोबाईल नम्बर......................................................................

Scanned with OKEN Scanner

# नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं के उपापन हेतु निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी –

| क्र. सं. | कार्य की प्रकृति | कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या | श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन + इ.एस.आई. दर 3.25 प्रतिशत + इ.पी.एफ. दर 13 प्रतिशत | सेवा प्रतादा द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर प्रतिदिन (श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन + इ.एस.आई. दर 3.25 प्रतिशत + इ.पी.एफ. दर 13 प्रतिशत + सेवा प्रतादा का सर्विस चार्ज + उपकरण किराया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर (Machine with Man) | उच्च कुशल | 387.11 | |

iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

v) राजस्थान अनुवन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्थापन को प्रस्तुत की जायेगी।

vi) यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाऐं 4 घण्टे से कम अवधि के लिये ली जायेगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

vii) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करायी गयी राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक विल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करायी गई राशि के विवरण वावत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

viii) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

ix) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर से श्रम विभाग की अधिसूचना के समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

x) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा करवाना होगा जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के विल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के विल/विलों का भुगतान किया जायेगा।

xi) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्वर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

xii) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत समस्त श्रमिकों का नियमानु सार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

xiii) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर की (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के विल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने प्रमाणस्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

xiv) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

Scanned with OKEN Scanner

xv) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रवन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुवन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

xvi) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

xvii) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

xviii) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती हैं तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को देबार कराने की कार्यवाही करेगी।

xix) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कर रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी हैं तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

xx) उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

xxi) संवेदक को प्रथम बार प्रिंटर के साथ टोनर देना होगा उसके पश्चात टोनर रिफिल का व्यय निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

xxii) यदि निगोशियेशन पश्चात की एक से अधिक संवेदको की दरें बराबर रहती है तो उपापन समिति अपने विवेकानुसार किसी एक संवेदक को कार्यादेश देने को स्वतंत्र रहेगी।

xxiii) फर्म का मुख्यालय दिनांक 1.1.2023 से पूर्व जोधपुर मे होना चाहिए।

xxiv) "ठेका समाप्ति के पश्चात् विभिन्न विभागों की वैधानिक देयताओं (यथा EPF, ESI, GST etc) हेतु संवेदक जिम्मेदार रहेगा।" संबंधित बॉण्ड नॉन ज्यूडियशियल स्टाम्प पेपर (राशि रूपये 500/–) पर निविदा फीस के साथ जमा कराना होगा।

समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अध्यधीन अन्य आवश्यक शर्तों के साथ–साथ उक्तानुसार शर्तों को बोली दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना सुनिश्चित करें ताकि श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना की जा सकें। उक्तानुसार शर्त संख्या iii) से xix) का समावेश सफल बोलीदाता/संवेदक से किये जाने वाले अनुबन्ध में अनिवार्य रूप से किया जायें। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा।

**संवेदक के हस्ताक्षर मय सील**

Scanned with OKEN Scanner

# Bid Data Sheet

**(To be filled in capital letters)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Legal Name of bidder | | |
| **2** | GST Number | | |
| **3** | Pan Number | | |
| **4** | Business Category:<br>(Yes Appropriate Box) | Corporation | |
| | | Individual | |
| | | Sole Proprietorship | |
| | | Limited Liability Partnership | |
| | | Partnership | |
| | | Other, Pl Specify | |
| **5** | Address of Correspondence | | |
| | | | |
| **6** | Name of Authorized Signature | | |
| **7** | Bid document fee detail | Amount Rs. | |
| | | DD/BC/Receipt No. | |
| **8** | Processing fee detail | Amount Rs. | |
| | | DD/BC/Receipt No. | |
| **9** | EMD/Bid Security detail | Amount Rs. | |
| | | DD/BC/Receipt No. | |
| **10** | Applicable Rate of G.S.T. | | |
| **11** | Mobile No. | | |
| **12** | Email | | |
| **13** | Annual Turn Over (CA Certificate with Seal and Membership Number is to be enclosed) | 2020-21 Rs. | (In Lacks) |
| | | 2021-22 Rs. | (In Lacks) |
| **14** | Average Turn Over | | (In Lacks) |
| **15** | Experience (Attach work order copy, Satisfactory Performance, Certificate of Competent Authority) | | |

**SIGNATURE OF BIDDER**

Scanned with OKEN Scanner

## –:निविदा/बोली व अनुबन्ध की शर्ते एवं विनियमनः–

बोलीदीता/संवेदक को ई–निविदा/बोली में अपनी दरें वैब साईट http://eproc.rajasthan.govt.in पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाईन प्रस्तुत करने से पूर्व इन शर्तो को बहुत सावधानी पूर्वक पढना चाहिये। निविदा/ बोली अनुबन्ध पूर्णतया कम्प्यूटर ऑपेरटर मय कम्प्यूटर के उपापन हेतु है परन्तु प्लेसमेन्ट एजेन्सीज के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नही किया जायेगा। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा/बोली प्रस्तुत करने से पूर्व आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।

1. ई–निविदा/बोली, निविदा/बोली सूचना में दिये गये निर्देशो के अनुसार यथोचित रूप से ई–निविदा बोली के साथ निर्धारित निविदा/बोली शुल्क का मूल डी.डी./बैंकर चैक RISLप्रोसेसिंग शुल्क की मूल डी.डी. अमानत राशि का मूल डी.डी./बैंकर चैक/बैंक गारण्टी तथा अन्य वांछित मूल दस्तावेजों के आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे सदस्य आयुक्त नगर निगम जोधपुर को निर्धारित तिथि व समय से पूर्व तक कार्यालय में जमा/प्रस्तुत करने होगें। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा/बोली पर विचार नही किया जाएगा एवं स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. संवेदक द्वारा ऑन–लाईन ई–निविदा दो रूपों में तथा तकनीकी निविदाएवं वित्तीय निविदा में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी निविदा/ बोली/प्रस्तावो में सफल बोलीदाता/सवेंदको की ही वित्तीय ई–निविदा/बोली खोली जाएगी।
3. ऑन–लाईन अपलोडेड निविदाओं को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित बोलीदाता /संवेदक अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा। निर्धारित समय में कोई बोलीदाता/संवेदक अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए निर्धारित समय पर निविदाओं को खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता हैं तो आगामी कार्य दिवस को निविदा/बोली उसी समय पर खोली जायेगी।
   (अ) सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी बिड खोली जायेगी।
   (ब) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बिडर की ही वित्तीय बिड पर विचार जायेगा। सिर्फ तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता/संवेदक ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होगें।
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
5. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948 के अन्तर्गत, नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जावेगी।
6. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यक हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधी के लिए ली जायेगी। उन्हे उनकी सेवाओं के विरूद्व न्यूनतम मजूदरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजूदरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
7. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजूदरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
8. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूदरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
9. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को वढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
10. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरो के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिको की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई. पी.एफ. और ई.एस.आई. के अशंदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

11. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
12. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एंव सेवा कर (GST)की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों की जमा करावाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST)के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एंव सेवा कर (GST)की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST)का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तुत एवं सेवा कर (GST)के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
13. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशो की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों /दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रवन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजूदरी अधिनियम-1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिकों (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम-1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालना करने के लिए उत्तरदायी होगा।
15. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक, विवाद अधिनियम-1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
16. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भमें किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा/देने/ई. एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती हैं तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सुचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को DEBARकरवाने की कार्यवाही करेगी।
18. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य कीविशिष्ठ प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिये यदि किसी उपापन संस्था अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी हो तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार वशिष्ठ कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संवेदक का होगा।
19. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय एंव श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
20. बोलीदाता/संवेदक बिन्दु निविदा/बोली के अन्त में प्रत्येक पृष्ठ/वांछित कॉलम/ स्थान पर समस्त निबन्धनो एवं शर्तो (T&C)को स्वीकार करने के प्रमाणन के रूप में नियमानुसार अपने हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर करेगा।
21. बोलीदाता/संवेदक अपनी निविदा/बोली या उसके किसी सारभुत भाग को ना तो किसी एंजेसी को सौप सकेगा ना ही किसी को आगे निविदा/बोली पर दे सकेगा।
22. बोलीदाता/प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार ही अनर्हता (Disqalification)होगी।
23. निविदा/बोली निगम के विभिन्न वार्डो/विभागो/शाखाओं में कम्प्युटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर (Machin with main)सेवायें हायर करवाने हेतु उक्तानुसार/नियमानुसार से पंजीकृत कम्पनीज/संस्थानो/संयुक्त उद्यमों आदि से जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो अर्थात जिनकी वित्तीय स्थिति/क्षमता 30.00 लाख या इससे अधिक औसत वित्तीय (वार्षिक) टर्न ओवर हो एंव जो कार्मिको/मजदूरो को समय पर स्वंय के संसाधनो से भुगतान करने में सक्षम हो द्वारा ही निविदा/बोली प्रस्तुत की जानी चाहिये परन्तु प्लेसमेन्ट एजेन्सीज के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नही किया जायेगा। इस हेतु प्रमाणित अभिलेख (चार्टड एकाउण्टेन्ट ऑडिट रिपोर्टस की प्रति) निविदा/बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं।
24. बोलीदाता/संवेदक/सेवा प्रदाता को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कॉरपोरेशनो/स्वायत्तशासी की निकायो में कार्मिक उपलब्ध करवाने के अनुभव प्रमाण-पत्र/आदेशो/अनुबन्ध की प्रतियां बोली के तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड करनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

25. निविदाकार के पास स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र होना आवश्यक हैं। सक्षम प्राधिकारी/रजिस्ट्रार से पंजीकृत संस्थाओ द्वारा ही दी गई निविदा /बोली मान्य होगी। संस्था का स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम से बैंक में खाता होना आवश्यक हैं।
26. निविदा/बोली किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पॉवर ऑफ अर्टोनी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं। निविदा/बोली स्वीकृत के बाद फर्म के संविधान में कोई परिर्वतन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबन्ध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नही डालेगा। इसी प्रकार जबतक इस अनुबन्ध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नही करे तबतक फर्म में कोई साझेदार सम्मिलित नही किया जावेगा। निविदाकार कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा/बोली भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृती निविदा/बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
27. बोलीदाता/संवेदक को सामग्री राशि/उपकरण किराया राशि एवं जीएसटी राशि अतिरिक्त कुल राशि ही वित्तीय बोली प्रपत्र में दरें अंकित करनी होगी। दरें सुस्पष्ट अंको एवं शब्दो में देनी होगी। बोलीदाता / संवेदक/सेवा प्रदाता की सामग्री राशि/उपकरण किराया राशि एवं सर्विस चार्ज राशि की दरें समान प्राप्त होने पर अधिकतम सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाली बोलीदाता/संवेदक/सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा।
28. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिर्वतन नही किया जाना चाहिये ओर दरें अंको के साथ–साथ शब्दों में भी आवश्यक रूप से लिखी जानी चाहिए।
29. दरें अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के लिए मान्य होगी। संविदा का समय संविदाकार एंव विभाग की आपसी सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
30. **सहउघम की दशा में** सहउघम के समस्त पक्षकार बोली को हस्ताक्षरित करेंगें और वे सयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे और सहउघम एक प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट करेगा जिसको बोकी लगााने की प्रक्रिया के दौरान सहउघम के किसी या समस्त पक्षकारो के लिए और उनकी ओर से समस्त कारबार संचालित करने का प्राधिकार होगा। उस दशा में जहां सहउघम की बोली स्वीकृत की जाती है , या तो वे रजिस्ट्रीकृत सहउघम कम्पनी/फर्म गठित करेंगे या अन्यथा सहउघम के समस्त पक्षकार करार हस्ताक्षरित करेंगे।
31. **बोलीयो की विधिमान्यता की कालावधिः–** बोली लगाने वालो के द्वारा प्रस्तुत बोली की बोली कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।
32. **बोली अमानत/प्रतिभूति राशि :–**
    1. दर संविदा के मामले में बोली अमानत/प्रतिभूति बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य का **एक** प्रतिशत होगी।
    2. बोली प्रतिभूति बैंकर्स चैक या मांगदेय ड्राफ्ट (डी.डी.) या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपनिधान में बैंक गारंटी के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढायी गयी विधि मान्यता की कालाविधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।
    3. असफल बोली लगाने वालो की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अन्तिम स्वीकृति ओर करार के हस्ताक्षर करने ओर कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।
    4. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।
33. **बोली प्रतिभूति का समपहृत :–**
    1. बोली लगाने वाले से ली गई प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों मे समपहृत कर दी जायेगी, करता हैं
       (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता हैं।
       (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
       (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।
       (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता हैं।
       (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम ओर इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता हैं।
    2. सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती हैं यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता हैं।

Scanned with OKEN Scanner

34. **भुगतान :–**

i. भुगतान स्वीकृत राशि के अनुसार मासिक गणना के आधार पर किया जायेगा तथा जिस पर नियमानुसार आयकर एंव जी.एस.टी. की कटौति स्त्रोत पर ही की जायेगी।

ii. सेवा प्रदाता दर संविदा की शर्तो में दिये गये निर्धारित तरीके एवं स्पेशिफिकेशन से कार्य किये जाने पर भुगतान किया जायेगा।

35. सफल सेवा प्रदाता/बोलीदाता/संवेदक निगम द्वारा मांगे जाने पर एक सप्ताह में कार्मिक उपलब्ध करवाने होगें तथा उन्हें निर्देशों की पालना करनी होगी।

36. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिर्वतन की सूचना प्रतीत केता/सेवा प्राप्तकर्ता अधिकारी को लिखित में बोलीदाता/संवेदक द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन में संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जाएगा।

37. संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारी के बोलीदाता/संवेदक द्वारा फर्म मे तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नही हो जाते एंव केता/सेवा प्राप्तकर्ता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए बोलीदाता/संवेदक की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

38. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्टसमय को संविदा के सार कम में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता केता/सेवा प्राप्तकर्ता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

39. यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध मे है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कारवाई कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को अस्वीकार किया हुआ समझा जाएगा। जबतक कि केता/सेवा प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

40. बोली स्वीकृत अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर को बोली नही हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक सेवाप्रदाता से अधिक को सेवा की मदों को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

41. सफल सेवाप्रदाता/बोलीदाता/संवेदक कार्मिक को विभाग के अनुमोदन के बिना नहीं हटा सकेगा परन्तु आयुक्त सेवाप्रदाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिको को हटाने हेतु सक्षम है, परन्तु हटाये गये कार्मिको की जगह अन्य कार्मिक आयुक्त द्वारा मांगने पर सेवाप्रदाता/बोलीदाता/संवेदक उपलब्ध करवाने हेतु बाध्यकारी होगी।

42. बिल एंव बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर अनुबन्धित फर्म या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर अनुबन्धित फर्म या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

43. कर्मकारों द्वारा कार्य न करने, व्यवधान उत्पन्न करने, शराब व अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन किये हुए पाये जाने पर अनापेक्षित आचरण, अपराधिक एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी एवं उस कर्मकार को अनुबन्धित फर्म द्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाकर उसके स्थान पर नये उपर्युक्त कर्मकार से कार्य करवाना होगा।

44. राज्य सरकार द्वारा जब भी नियमित स्वीकृत पदों पर कार्मिक/कार्मिकों का नवीन पदस्थापन किया जावेगा तो ऐसी स्थिति में जोब बेसिस पदों पर कार्यरत सम्बन्धित कर्मकार/कार्मिकों को हटाये जाने का अधिकार निगम प्रशासन को होगा।

45. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो यह अनुबन्धित फर्म स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। अनुबन्धित फर्म को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये मानेदय इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अनुवन्धित फर्म की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

46. यदि अनुवन्धित फर्म के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है ओर इसमें नगर निगम जोधपुर दक्षिण प्रशासन को भी पक्षकार बनाया हैं तो संबंधित न्यायालय में एडवोकेट, जवाब दावा पेश करने में नगर निगम जोधपुर पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार अनुवन्धित फर्म से वसूल किया जावेगा।

47. यदि अनुवन्धित फर्म एवं जोब बेसिस कार्य हेतु लगाये गये कर्मकारो के मध्य कोई विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी अनुवन्धित फर्म की होगी इसके लिए नगर निगम जोधपुर दक्षिण प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

48. अनुबन्धित फर्म द्वारा लगाये गये कर्मचारी या कर्मकारों के द्वारा नगर निगम जोधपुर दक्षिण की राजकीय सम्पति को नुकसान पहुंचाया जाता है उस सम्पति के वास्तविक मूल्य की राशि से दुगनी राशि की वसूली अनुबन्धित फर्म के द्वारा प्रस्तुत बिल में से करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण को होगा।
49. अनुबन्धित फर्म द्वारा जोब बेसिस कार्य हेतु लगाये गये कर्मकारों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप से अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी व दायित्व अनुबन्धित फर्म की होगी। इसके लिए सरकार निगम प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
50. अनुबन्ध समाप्ति के समय निगम प्रशासन द्वारा अनुबन्धित फर्म से मांगे गये आवश्यक समस्त दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रतिभूति राशि एंव बैंक गारन्टी लौटाने संवंधी कार्यवाही की जावेगी।
51. अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर अनुबन्ध की शर्तो की पालना नहीं करने या अनुबन्धित फर्म का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर पूर्ण प्रतिभूति राशि को जब्त करने का पूर्ण अथवा आंशिक अधिकार आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण का होगा।
52. प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सभी कर्मकारों को बैंक खाते द्वारा भुगतान करना होगा। देरी से भुगतान की शिकायत प्राप्त होने पर बिल की कुल राशि की 5 प्रतिशत राशि आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा शास्ति के रूप में काटी जा सकती हैं।
53. कार्यालय/ट्रेजरी से किसी भी कारण से देरी से बिल पास होने पर देरी से भुगतान प्राप्त होने पर अनुबन्धित फर्म किसी भी प्रकार का क्लेम, निगम प्रशासन से नहीं करेगा तथा नियमित रूप से कर्मकारो को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से भुगतान करना होगा।
54. अनुबन्धित फर्म द्वारा सभी कर्मकारी का मानदेय का भुगतान करने के पश्चात् 7 दिवस की अवधि में संबंधित माह की राशि का पुर्नभरण हेतु बिल एवं जोब कार्य का प्रमाणीकरण संबंधित जॉब कार्य के सुपरवाईजर, प्रभारी/नियंत्रक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत कराना होगा।
55. अनुबन्धित फर्म के कर्मकारो को प्रतिदिन 08 घण्टे कार्य करना होगा।
56. अनुबन्धित फर्म द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर कार्य में लगाये जाने वाले कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित संबंधित जॉब कार्य के प्रभारी/ नियंत्रक को कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। इसके आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिये पूर्ण रूप से अनुबन्धित फर्म जिम्मेदार होगी। इन कर्मकारो के नियमित पुलिस वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी। अनुबन्धित फर्म के पास जिन कर्मकारों के नवीन पुलिस वेरीफिकेशन (निविदा/बोली जारी होने की दिनांक से पूर्व के दो माह तक के) हो उन्हीं कर्मकारों को कार्य पर उपलब्ध करायेगा। पुलिस वेरिफिकेशन की सूची में सत्यापित प्रतियां जॉब कार्य के प्रभारी/नियंत्रक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होगें। यदि किसी कार्मिक के विरूद्व आपराधिक/न्यायिक मामला चल रहा है तो इस कार्मिक को अनुबन्धित फर्म निगमउपलब्ध नही करायेगा।
57. अनुबन्धित फर्म द्वारा यदि संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर कार्य के लिए एक कार्य बिन्दु पर कार्य कम हुआ हो तो कर्मकार से अन्य कार्य बिन्दुओं पर सेवायें ली जा सकती हैं।
58. अनुबन्ध की अवधि के दौरान कर्मकारों के द्वारा किसी भी समय कितनी भी अवधि एवं किसी भी कारण से कार्य का बहिष्कार किया जाता है या हड़ताल की जाती है तो यह अनुबन्धिम फर्म द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी मानी जावेगी एवं शर्तो का उल्लघंन माना जाकर प्रत्येक ऐसे अवसर/घटना के लिए रूपये 5000/– तक की शास्ति लगाने का पूर्ण/अधिकार निगम प्रशासन को होगा।
59. <u>परिसमापित नुकसानी:–</u> परिसमापित नुकसानी के साथ कार्य अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर कार्य आपूर्ति के लिए की जायेगी जिनका बोलीदाता/संवेदक प्रदाय करने में असफल रहा हैं :–

(क) विहित कार्य अवधि की एक चौथाई अवधि तक विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अधिक के लिए 5 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

1. सेवा प्रदान करने में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
2. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

Scanned with OKEN Scanner

60. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत /डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
61. यदि संवेदक कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को कोई सूचना दिये बिना इसकी जोखिम पर आपूर्ति सम्पन्न कराई जावेगी। निविदाकार इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्चे एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकार के हर्जे-खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।
62. अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नही की जाती हैं तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि मे से तुरन्त कर ली जावेगी तथा प्रतिभूति राशि से अधिक वसूली बनती है तो बैंक गारंटी से तुरन्त राशि वसूल कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नही हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।
63. निविदाकार को देय भुगतान मे से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत पर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौति की जाकर भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता/संवेदक के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।
64. विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण का निर्णय अंतिम होगा व बोलीदाता /संवेदक को मान्य होगा।
65. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पड़े तो दोनो पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेशन के समक्ष रखें। तत्पश्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो संबंधित जिला न्यायालयों में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं होगी अर्थात समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर स्थित न्यायालय होगें।
66. **बोलियों का प्रत्याहरण प्रतिस्थापन और उपान्तरणः**– बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित/लिखित नोटिस भेजे कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस–

   (क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफें पर स्पष्ट रूप से "प्रत्याहरण", "प्रतिस्थापन","उपान्तरण" अंकित हो और (ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

   (1) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वाले को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

   (2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियां की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
67. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधारः**–बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियो में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगीः– (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई हैं। ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा। (ख) यदि योग के घटकों के जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गई हैं तो घटक अभिभावी होगें और योग में सुधार किया जायेगा। (ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तक तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दो में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपुर्यक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
68. **राजस्थान की और बाहर की फर्मो की दरों की तुलनाः**– उन फर्मो की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नही है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए राजस्थान की फर्मो द्वारा कोट की गयी दरों से जी.एस.टी. का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों की से केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जावेगा।
69. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकारः**– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या

Scanned with OKEN Scanner

अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्व किये जायेगें।

70. **परिमाण में परिर्वतन का अधिकारः–** (1) संविदा के अधिनिर्णय के समय बोली दस्तावेजों मे मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मो या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजो के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनो और शर्तो मे किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिर्वतन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेगें। यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होगीः–

(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत

71. **Fall Clause:-**यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान माल संकर्मो या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और व्यवहार नहीं किया जायेगा।

72. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालो के बीच परिमाणों का विभाजनः–** सामान्य नियम के रूप मे उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेगें जिसकी बोली स्वीकार की गई है तथापि जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नही हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले जिसकी बोली स्वीकार की गई है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या किसी कम में और भी बोली लगाने वालो के बीच उस बोली लगाने वाले की दरों पर जिसकी बोली स्वीकार की गई है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति प्रस्ताव बातचीत के समान होगी। तथापि परिमाणों के विभाजन की दशा मे जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2) तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गई दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

73. **कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः–** सफल बोली लगाने वालों से कार्य निष्पादन प्रतिभूति को रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामलें में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगीः–

1. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना नियत जमा रसीद (एफडीआर) का मांग पर में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।
3. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से सम्बन्धित अन्य शर्त बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होगी।

Scanned with OKEN Scanner

4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्याताओं और रख–रखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं को पूरा होने की तारीख से परें साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।
5. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा

74. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरणः–** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों मे समपहरण किया जा सकेगा।
(1) जब संविदा के किन्ही निबंधनो और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
(2) जब बोलीदाता/संवेदक सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

75. **करार का निष्पादनः–**
(1) सफल बोली लगाने वाले को निविदा/बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक हैं।
(2) यदि बोली लगाने वाला जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्व अधिनियम या इन नियमों के उपबंधो के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था ऐसे मामलों में उपापन प्रकिया रद्व कर संकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेजो में उपवर्णित कसौटी और प्रकियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृत का प्रस्ताव दे सकेगी।
(3) बोली लगाने वाले को स्वंय के खर्चे पर RTPP Rule 2013 के अनुसार न्यातिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।
(4) करार पत्र को पूर्ण करने पर उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता /संवेदक द्वारा किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त (Counter Foil) निःशुल्क दी जायेगी।

76. **सत्यनिष्ठा संहिताः–** उपापन प्रकिया में भाग लेने वाल कोई भी व्यक्ति,
(1) उपापन प्रकिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रकिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नही करेगा।
(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नही करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रवरित रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
(3) उपापन प्रकिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्वि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगी।
(4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गई किसी भी जानकारी का उपापन प्रकिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।
(5) उपापन प्रकिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुचाने ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगी।
(6) उपापन प्रकिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
(7) हित का विरोध यदि कोई हो प्रकट करेगा।
(8) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी भी विवर्जन को प्रकट करेगा।

77. **हित का विरोधः–**
(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
(2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रकिया मे एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है किन्तु इन तक सीमित नही हैं यदिः–
(क) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रकिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदिः–
(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
(ख) वे उनमें से किसी से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते है या प्राप्त की है।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनो के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
(ड़) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रकिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है तथापि यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है या
(च) बोली लगाने वाले या उसके सहबद्व विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये है के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्व है और न ही संबद्व रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा हैं।

78. **<u>बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग</u>**:– अधिनियम 4 के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और धारा 46 के उपबंधो के अनुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।

79. **<u>अपील की प्रारूप</u>**:–
(1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने की अपील में प्रत्यर्थी है।
(2) प्रत्येक अपील उस आदेश जिसके विरूद्व अपील की गई यदि कोई हो अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ–पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

80. **<u>अपील फाईल करने के लिए फीस</u>**:–
(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
(2) फीस का संदाय किसी अनुसूचित बैंक के मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

81. **<u>अपील के निपटारे की प्रकिया</u>** :–
(1) प्रथम अपील प्राधिकारी के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

82. **<u>अपील के निपटारे की प्रकिया</u>**:–
(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील शपथ–पत्र और दस्तावेजों यदि कोई हो की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी।
(क) उसके समक्ष उपस्थिति अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा और
(ख) मामले में संबंधित दस्तावेजों अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
(3) पक्षकारों की सुनवाई मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात् संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
(5) विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी..................................एवं द्वितीय अपील अधिकारी............................ ........................होगें।

83. विभाग के पास किसी भी निविदा/बोली को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

84. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तो पर विचार नहीं किया जायेगा तथा अन्य शर्त सा. वित्त एवं लेखा नियम/RTPP ACT-2012/Rules-2013के प्रावधानों के अध्यधीन लागू होगी। यदि कोई शर्त सम्मिलित होने से छूट गयी है, तो उस सम्मिलित समझा जावे तथा समस्त शर्ते/ नियम आदि स्वीकार होना बाध्य/मान्य होगी।

Scanned with OKEN Scanner

85. कार्मिकों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का सम्पूर्ण अधिकार सदस्य आयुक्त नगर निगम जोधपुर को होगा जिसकी सहमति सफल निविदादाता को अनुबंध पर भी देनी होगी।
86. वित विभाग के परिपत्र दिनाक 30/04/2018 में उल्लेखित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एंव नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनो के संबध में दिए गए दिशा निर्देशो की अनुपालना की जावेगी।

बोलीदाता संवेदक के हस्ताक्षर मय सील
बोलीदाता/संवेदक का नाम.........................................
पता..............................................................................
.....................................................................................
मोबाईल नम्बर...............................................................

Scanned with OKEN Scanner

## —:निविदा/बोली की विशिष्ट शर्तें:—

जिस बोलीदाता/संवेदक की निविदा/बोली स्वीकार की जावेगी उसे लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कम्पयूटर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्तें निम्न प्रकार होगी :—

1. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा/बोली में वर्णित स्तर के अनुभव होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप हैं। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जायेगा।
2. उपकरण स्थापित करने के लिये स्थान, फर्नीचर एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेगें। संबंधित विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेगें कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सकें।
3. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी।
4. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्पयूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/— रूपये की कटौति की जावेगी।
5. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होगें एवं यदि बढ़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह बोलीदात/संवेदक को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
6. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता/संवेदक की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो बोलीदाता/संवेदक को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
7. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है तो बोलीदाता/संवेदक को लिखित में सूचना देकर ठीक करवाने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त किया जा सकेगा।
8. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होगा है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नही होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणो का बीमा करवा सकता हैं।
9. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नही किया जावेगा।
10. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डी.डी. आदि माध्यम से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।
11. समस्त विधिक कार्यवाही यदि स्थगित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग या ठेकेदार) द्वारा जोधपुर (राजस्थान) में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर पेश नही की जायेगी।
12. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखेगा तथा कम्प्यूटर को बदलने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को विभाग को संभलवायेगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम से डिलिट किया जायेगा। निगम द्वारा डेटा को सुरक्षित रखने के लिए डेटा स्टोरेज की व्यवस्था की जायेगी तथा उसे सुरक्षित रखने के लिये लौकर दिया जाएगा।
13. प्रशिक्षत कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा डेटा की गोपनीयता एंव सुरक्षा बनायी रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेड़छाड़/रद्दोबदल/ धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

14. प्रशिक्षत कार्मिक (ऑपरेटर) कार्यालय में गरिमा बनाये रखेगा सद्व्यवहार करेगा एवं धूम्रपान नहीं करेगा।
15. प्रशिक्षत कार्मिक (ऑपरेटर) अवैध गतिविध/अनैतिक कार्यो में संलिप्त नहीं रहेगा। उक्त कार्मिक का चाल चलन एवं चरित्र अच्छा होना चाहिए।
16. प्रशिक्षत कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा अपेक्षित जांच/कार्य नहीं करने पर संवेदक/ बोलीदाता द्वारा 4 दिवस में उसके स्थान पर अन्य प्रशिक्षत कार्मिक (ऑपरेटर) उपलब्ध करायेगा।
17. प्रशिक्षत कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर धूम्रपान करने/अशिष्ठ या दुर्व्यवाहर करने/गंदगी फैलाने/नशाखोरी करने पर तत्काल प्रभाव से उसे हटा दिया जायेगा तथा संवेदक/बोलीदाता द्वारा उक्त कार्मिक को इस उपापन संस्था से अनुबंधित अन्य स्थान या अधिकारी के यहां भी नहीं लगायेगा जबकि अन्य प्रशिक्षत कार्मिक (ऑपरेटर) की उसके स्थान पर लगाने की तत्काल व्यवस्था करेगा।
18. प्रशिक्षत/कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य छोड़ने/स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर संवेदक /बोलीदाता द्वारा उनके स्थान पर अन्य प्रशिक्षत कार्मिक (ऑपरेटर) लगाये जाने की तत्काल व्यवस्था करनी होगी।
19. प्रशिक्षत कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर लैगिंक भेदभाव या उत्पीड़न करने/ अवैध गतिविधि या अनैतिक कार्य में संलिप्तता की शिकायता प्राप्त होने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा इसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
20. प्रशिक्षत कार्मिक (ऑपरेटर) के चाल–चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की ज़िम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।

बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर
मय सील

Scanned with OKEN Scanner

## -:कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक का जोब/कार्य विवरण :-

1. Computer System:- Includs the following items with specification
   - A. Computer:- Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 4 GB or higher, Hard disk 1 TB or more, 18.5" LED Monitor or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, TVS Keyboard, Optical Mouse, Standard, parallel & USB ports Windows 10 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software license will be borne by the contractor.
   - B. Printer:- Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/Inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
   - C. UPS:- UPS for above each Computer with 15 minutes battery backup.
2. Trained Personnel

   The personal should be Graduate in any stream with Diploma/BE/RSCIT/ Govt. Any Institute certificate Should have knowledge to operate computer in Windows/Operating system environment. Good knowledge practice in word /Excel/Power Point Processor. Spread Sheets and Internet Operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.
3. सफल निविदा दाता को बिन्दु संख्या 1 में वर्णित स्पेसीफिकेशन के कम्प्यूटर में सभी नये कम्प्यूटर उपलब्ध करवाने होगें।
4. दो कम्प्यूटर सैट SPARE में रखे होने चाहिए जिससे की कभी भी कोई कम्प्यूटर खराब हो जाये तो उसके स्थान पर तुरन्त दूसरा कम्प्यूटर तुरन्त लगाया जा सकें।
5. निगम के कार्यालय आदेश अनुसार कम्प्युटर स्थापित नही करने पर प्रतिदिन निविदा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त 500/— प्रति पेनेल्टी राशि ली जावेगी।

बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर
मय सील

Scanned with OKEN Scanner

## –:नगर निगम की सामान्य शर्तें:–

1. कम्प्यूटर मय प्रशिक्षत कर्मी (मशीन विद् मैन) अर्थात कम्प्यूटर ऑपेरटर द्वारा निर्धारित कार्य नही करने, कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, कार्य स्थल पर शराब व अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन किये हुए पाये जाने व अनापेक्षित आचरण, अपराधिक एवं अवांटित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर निगम आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा। ऐसी स्थिति में अनुबन्धित बोलीदाता/संवेदक स्वयं जिम्मेवारी होगी एंव उसको तुरन्त प्रभाव से हटाकर उसके स्थान पर नये उपयुक्त–कम्प्यूटर ऑपरेटर से कार्य करवाना होगा।
2. यदि अनुबन्धित बोलीदाता/संवेदक के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई कम्प्यूटर ऑपरेटर न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें निगम प्रशासन को भी पक्षकार बनाया है तो संबंधित न्यायालय में एडवोकेट, जवाब दावा पेश करने में निगम पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार अनुबन्धित बोलीदात/ संवेदक से वसूल किया जायेगा।
3. यदि अनुबन्धित बोलीदाता/संवेदक एंव कम्प्यूटर ऑपरेटर के मध्य किसी भी प्रकार के सामान्य/श्रम विभाग या अन्य कानूनों के सम्बन्ध में विवाद होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धित बोलीदाता/संवेदक की ही होगी। ऐसी स्थिति में यह निगम प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।
4. अनुबन्धित बोलीदात/संवेदक द्वारा लगाये गये कर्मचारी या कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा निगम की राजकीय सम्पति को नुकसान पहुंचाया जाता है उस सम्पति के वास्तविक मूल्य/राशि की वसुली अनुबन्धित बोलीदाता/संवेदक के प्रस्तुत बिल/दावें में से वसूल करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर निगम जोधपुर को होगा।
5. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर की किसी भी कारण से या ड्यूटि कार्य समय के दौरान या इसके उपरान्त मृत्यु हो जाती है अथवा किसी दुर्घटना में घायल/अपंग आदि हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी व दायित्व अनुबन्धित बोलीदाता/संवेदक का होगा। ऐसी स्थिति में सरकार व निगम प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
6. कम्पयूटर मय प्रशिक्षित कार्मिकों (मशीन विद् मैन) हायर की जानें वाली सेवाओं की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्वि की जा सकती हैं।
7. बोलीदाता/संवेदक द्वारा कम्प्यूटर मय प्रशिक्षित कार्मिको (मशीन विद् मैन) को निगम प्रशासन द्वारा यदि ड्रेस कोड लागू किया जाता है तो उन्हें निर्देशानुसार स्वयं के स्तर पर ड्रेस उपलब्ध करवानी होगी। निगम स्तर से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
8. सफल बोलीदाता/संवेदक को कम्प्यूटर कार्य में दक्ष योग्यताधारी अभ्यार्थी उपलब्ध करवाने होगें।
9. नगर निगम जोधपुर में कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवाओं के उपापन हेतु अभ्यार्थियों की योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी मान्य विषय में स्नातक उर्तीण एंव कम्प्यूटर में डिग्री/डिप्लोमा/आरएस–साआईटी आदि उर्तीण व अनुभवी होना चाहिए। इन पदों/योग्यता व अनुभव में कमी/बढ़ोतरी की जा सकेगी।
10. सफल/बोलीदाता/संवेदक/सेवा प्रदाता द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर के आधार पर उपलब्ध करवाये गये अभ्यार्थियों की पहचान एवं निर्धारित योग्यता की सत्यापित फोटो प्रति आदेशानुसार उपलब्ध करवानी होगी। चयनित को बोली में अंकित योग्यताधारी अभ्यार्थी उपलब्ध करवाने होगें। अभ्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा की जावेगी।

**बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर**
**मय सील**

Scanned with OKEN Scanner